झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

पंचम् झारखण्ड विधान–सभा
अष्टम (बजट) सत्र
वर्ग–01

निम्नलिखित अल्प सूचित प्रश्न, सोमवार, दिनांक – 30, फाल्गुन, 1943 (श0) / 21 मार्च, 2022 (ई0) को झारखण्ड विधान–सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्र0 सं0	विभागों को भेजी गई सा0 संख्या	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01.	02.	03.	04.	05.	06.
171.	अ0सू0–43	श्री सरयू राय	प्राथमिकी दर्ज करना।	मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी	14.03.22
172.	अ0सू0–25 (उत्तर मुद्रित)	श्री बिरंची नारायण	आयोग का गठन।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	02.03.22
173.	अ0सू0–24 (उत्तर मुद्रित)	डॉ0 लम्बोदर महतो	पेंशन योजना का लाभ।	वित्त	02.03.22
174.	अ0सू0–36 (उत्तर मुद्रित)	श्री विनोद कुमार सिंह	पेंशन योजना चालू करना।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	07.03.22
175.	अ0सू0–40	श्री प्रदीप यादव	जाँच कराना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	07.03.22
176.	अ0सू0–39	श्री बिरंची नारायण	प्रोन्नती देना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	07.03.22

नोट :– 174–अ0सू0–36–कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के ज्ञापांक–1480, दिनांक–08.03.2022 के द्वारा वित्त विभाग में स्थानान्तरित।

राँची,
दिनांक– 21 मार्च, 2022 (ई0)।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-प्रश्न-01/2021-.....1383...../वि0स0, राँची, दिनांक- 16/03/22

प्रतिः- झारखण्ड विधान-सभा के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री/ माननीय मंत्रिगण/ माननीय संसदीय कार्य मंत्री/ मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

नीलेश रंजन
16.3.2022
(नीलेश रंजन)
अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-प्रश्न-01/2021-.....1383...../वि0स0, राँची, दिनांक- 16/03/22

प्रतिः- माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के आप्त सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय तथा संयुक्त सचिव, प्रश्न को सूचनार्थ प्रेषित।

नीलेश रंजन
16.3.2022
अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-प्रश्न-01/2021-.....1383...../वि0स0, राँची, दिनांक- 16/03/22

प्रतिः- कार्यवाही शाखा/ वेबसाईट शाखा/ ऑनलाईन शाखा एवं आश्वासन शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

नीलेश रंजन
16.3.2022
अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

एक्का/-

16/03/22

आयोग का गठन ।

उत्तर मुद्रित

172. श्री बिरंची नारायण --क्या मंत्री, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड के निर्धारित समयावधि में सेवाएँ उपलब्ध कराने हेतु झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम, 2011 लागू है, लेकिन इसके धारा 10 के तहत अब तक झारखण्ड राज्य लोक सेवा परिदान आयोग का गठन नहीं किया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य सूचना आयोग में विगत-2 वर्षों से सूचना आयुक्त की नियुक्ति नहीं होने के कारण सुनवाई बिल्कुल बंद है और करीब 20 हजार से अधिक द्वितीय अपील एवं शिकायतवाद यहाँ लंबित है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार झारखण्ड राज्य सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त सहित 10 राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति करते हुए झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम, 2011 की धारा-10 के तहत् झारखण्ड लोक सेवा परिदान आयोग का गठन करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक ।

(2) आंशिक स्वीकारात्मक ।

(3) कार्मिक विभागीय अधिसूचना संख्या-71 दिनांक 3 जनवरी, 2020 के द्वारा झारखण्ड राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्ति हेतु कुल-06 पद निर्धारित किया गया है ।

झारखण्ड राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के एकल पद तथा राज्य सूचना आयुक्तों के कुल-05 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या-01/2020 के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किये गये है ।

उक्त विज्ञापन के आलोक में मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्तों के पद पर नियुक्ति हेतु क्रमशः 63 एवं 354 आवेदन प्राप्त हुए है । मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की कार्रवाई सम्प्रति प्रक्रियाधीन है ।

झारखण्ड लोग सेवा परिदान आयोग के गठन का प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है ।

पेंशन योजना का लाभ ।

उत्तर मुद्रित

173. डॉ० लम्बोदर महतो--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि 2004 के बाद राज्य सरकार और केन्द्र सरकार विभिन्न विभागों में की गई नियुक्तियों में उनकी पुरानी पेंशन समाप्त कर दी गई है, नई पेंशन योजना में कर्मचारियों को कम पेंशन की राशि मिल रही है जिससे कर्मचारियों में निराशा एवं हताशा की स्थिति बन गई है;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पूर्व की भाँति राज्य के सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) भारत सरकार के अधिसूचना ज्ञापांक 5/7/2003-ECB&PR दिनांक 22 मार्च, 2003 के द्वारा 1 जनवरी, 2004 के प्रभाव से केन्द्र सरकार की सेवा में आनेवाले सभी नये कर्मियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू की गयी । तत्पश्चात् अनेक राज्यों यथा राजस्थान, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों के द्वारा भी नई पेंशन योजना लागू की गयी है । तदनुसार झारखण्ड राज्य में भी वित्त विभागीय पत्रांक संख्या-518, दिनांक 9 दिसम्बर, 2004 द्वारा दिनांक 1 दिसम्बर 2004 को या उसके पश्चात् नियुक्त झारखण्ड सरकारी सेवकों पर नई अंशदायी पेंशन योजना अनिवार्य रूप से लागू है । नई पेंशन योजना हेतु नियामक संस्थान पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण (पी०एफ०आर०डी०ए०) की अधिसूना संख्या-12/आर०जी०एल०/139/8, दिनांक 11 अप्रैल, 2015 के अनुसार अधिवार्षिता (Superanuation) की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप संचित धन में से कम से कम 40 प्रतिशत अनिवार्य रूप से किसी मासिक या किसी अन्य कालिक पेंशन का उपबंध हेतु वार्षिकी (Annuity) करने के लिए उपयोजित किये जाने का प्रावधान है ।

(2) केन्द्र एवं राज्य सरकारों की पेंशन देयता बढ़ रही है एवं राजस्व का बहुत बड़ा अंश पेंशन भुगतान में ही चला जाता है । वित्तीय प्रबंधन के लिए भी यह सही नहीं है । इसी कारण भारत सरकार द्वारा वर्ष 2004 में अंशदायी पेंशन का विकास किया गया है जिसे लगभग सभी राज्यों ने लागू किया है ।

नई पेंशन योजना को बन्द करके पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का कोई प्रस्ताव वर्त्तमान में विचाराधीन नहीं है ।

पेंशन योजना चालू करना ।

उत्तर सहित

174. श्री विनोद कुमार सिंह --क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में 2004 के बाद नियुक्त सरकारी सेवक के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना NPS लागू है;

(2) क्या यह बात सही है कि NPS 60% कोपर्स कर योग्य आय में जुड़ता है, जिससे रिटायरमेंट में टैक्स बढ़ जाता है;

(3) क्या यह बात सही है कि NPS में परिपक्वता से पहले सीमित राशि निकासी की अनुमति है, साथ ही इक्विटी एक्सपोजर 60 की उम्र तक 50 प्रतिशत कम हो जाता है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कर्मचारियों के हित में NPS की समस्त खामियों के मद्देनजर अहितकर प्रावधानों को शिथिल करते हुए तत्काल प्रभाव से पुरानी पेंशन योजना को पुनः बहाल करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक ।

भारत सरकार के अधिसूचना ज्ञापांक 5/7/2003 ECB&PR दिनांक 22 मार्च, 2003 के द्वारा 1 जनवरी, 2004 के प्रभाव से केन्द्र सरकार की सेवा में आनेवाले सभी नये कर्मियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू की गयी । तत्पश्चात् अनेक राज्यों यथा राजस्थान, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों के द्वारा भी नई पेंशन योजना लागू की गयी है । तदनुसार झारखण्ड राज्य में भी वित्त विभागीय पत्रांक संख्या-518, दिनांक 9 दिसम्बर, 2004 द्वारा दिनांक 1 दिसम्बर, 2004 को या उसके पश्चात् नियुक्त झारखण्ड सरकारी सेवकों पर नई अंशदायी पेंशन योजना अनिवार्य रूप से लागू है ।

(2) अस्वीकारात्मक ।

सेवानिवृत्ति के समय कर्मी का NPS में संचित राशि का अधिकतम 60 प्रतिशत के समतुल्य राशि एकमुस्त भुगतान करने का प्रावधान है तथा शेष 40 प्रतिशत राशि से कर्मी द्वारा annuity का क्रय करना होता है । जिसके विरूद्ध संबंधित annuity service provider द्वारा पेंशन भुगतान किया जाता है । पेंशन की राशि पर आयकर देय है ।

Income Tax Department, Government of India के Section 10 (12A) के तहत् परिपक्वता के समय दी जाने वाली कोर्पस की 60 प्रतिशत आयकर मुक्त है ।

(3) आंशिक स्वीकारात्मक ।

वित्त विभाग के पत्रांक संख्या-129/भ०नि० दिनांक 30 जनवरी, 2019 एवं पत्रांक-748/भ०नि० दिनांक 16 मई, 2019 के द्वारा झारखण्ड राज्य में एन०पी०एस० अंशधारकों को 03 (तीन) वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात् उनके PRAN (Permanent Retirement Account Number) खाता में संचित कर्मी की अंशदान की राशि के विरूद्ध आंशिक प्रत्याहरण (partial withdrawal) अनुमान्य है । झारखण्ड राज्य अन्तर्गत नई पेंशन योजना में संचित राशि को Pension Fund Regulatory & Development Authority (PFRDA) द्वारा नियुक्त तीन Pension Fund Manager को allocate किया जाता है, जिसमें से उनके द्वारा 85 प्रतिशत राशि निश्चित आय साधनों में लगाया जाता है तथा शेष 15 प्रतिशत राशि को ही इक्विटी एवं इक्विटी से संबंधित साधनों में लगाया जाता है ।

(4) अस्वीकारात्मक ।

नई पेंशन योजना को बन्द करके पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है ।

श्री प्रदीप यादव, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–21.03.2022 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–40 का उत्तर प्रतिवेदन :– 175

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने पुलिस हिरासत एवं न्यायिक हिरासत में हुई मौत के लिए मृतक के आश्रितों को मुआवजा देने का निर्देश जारी किया है;	स्वीकारात्मक। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के निदेशानुसार पुलिस हिरासत एवं न्यायिक हिरासत में हुई मृत्यु की सूचना 24 घंटे के अन्दर NHRC को दी जाती है। NHRC के द्वारा The Protection of Human Rights Act, 1993 की धारा–18 के अंतर्गत कई मामलों में मृतकों के आश्रित को आर्थिक मुआवजा के भुगतान करने का आदेश जारी किया गया है।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पुलिस हिरासत में हुई मौत की जाँच CID विभाग से होता है, उसी तरह न्यायिक हिरासत में हुई मौत की भी जाँच किसी स्वतंत्र एजेन्सी से कराने का विचार रखती है, हां तो कब तक, नहीं, तो क्यों?	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक–4270, दिनांक–03.11.2021 के द्वारा कारा महानिरीक्षक, झारखण्ड, सभी उपायुक्त, सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/ सभी पुलिस अधीक्षक, झारखण्ड को न्यायिक हिरासत में हुई मौतों की जांच Judicial Magistrate से कराने का निदेश दिया गया है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–11/वि०स०–08/2022–1089/ राँची, दिनांक–17/03/2022 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–1025, दिनांक–07.03.2022 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/3/2022

सरकार के संयुक्त सचिव।

176

श्री बिरंची नारायण, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–21.03.2022 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–39 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा भारतीय पुलिस सेवा के एसपीएस कोटा के लिए पदोन्नति हेतु योग्य पुलिस पदाधिकारियों का यूपीएससी को प्रस्ताव भेजा जाना आवश्यक है, परन्तु वर्ष 2017 से आज तक भारतीय पुलिस सेवा के लिए राज्य सरकार की ओर से प्रस्ताव नहीं भेजा गया है, जो घोर अनियमितता एवं लापरवाही को प्रदर्शित करता है, जबकि झारखण्ड के करीब 42 पदाधिकारी भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नति हेतु योग्यताधारी हैं;	आंशिक स्वीकारात्मक। राज्य पुलिस सेवा से भारतीय पुलिस सेवा में प्रोन्नति से नियुक्ति हेतु चयन वर्ष–2017, 2018, 2019 एवं 2020 के लिए संघ लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
2	क्या यह बात सही है कि वर्तमान में झारखण्ड में करीब 24 पुलिस अधीक्षकों का पद रिक्त है साथ ही झारखण्ड के 40 ऐसे की पोस्ट (समादेष्टा से लेकर डीजी रैंक तक के महत्वपूर्ण पद) हैं, जहां आईपीएस पदाधिकारी का पदस्थापन अनिवार्य है, क्योंकि इनमें 29 पद पूरी तरह खाली हैं और इन पर अतिरिक्त प्रभार से काम चलाया जा रहा है;	राज्य में भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारियों की काफी कमी है। इनमें से जिला स्तर में रिक्त पदों पर पदाधिकारियों के पदस्थापन हेतु प्राथमिकता दी जाती है, जिससे कि विधि–व्यवस्था तथा अपराध नियंत्रण की समस्या पर विशेष ध्यान दिया जा सके। इसके उपरांत शेष पदाधिकारियों को मुख्यालय के रिक्त पदों पर पदस्थापन करते हुए उनसे कार्यों के अतिरिक्त अन्य पदों का अतिरिक्त प्रभार सौंपते हुए कार्यों का निष्पादन किया जा रहा है, जिससे कार्य प्रभावित नहीं हो रहा है। राज्य में प्रतिनियुक्त केन्द्रीय पुलिस संगठन के पदाधिकारियों से भी विधि–व्यवस्था तथा नक्सल विरोधी अभियान का कार्य लिया जा रहा है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार यथाशीघ्र राज्य पुलिस सेवा से भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नति से नियुक्ति हेतु संघ लोक–सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजने का विचार रखती है, हां, तो कब तक, नहीं, तो क्यों?	उपरोक्त कंडिका–1 में स्थिति स्पष्ट की गई है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–13 / वि०स०–104 / 2022–...101..... / राँची, दिनांक– 17 /03 /2022 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–1026, दिनांक–07.03.2022 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/3/22

सरकार के संयुक्त सचिव।